राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी – महेश चन्द्र मान (आर०ए०एस०)

दावा	रजू दिनांक	पर्चा डिक्री दिनांक
286/17	10.11.2017	26.07.2018

अनुवान

1. माडूराम
2. घाहडराम
3. रमेश
4. टोडियाराम पुत्रान श्री मुरली
5. कैलाश
6. रोहिताश्व
7. बबल पुत्रान श्री श्रीराम
8. जयमल पुत्र श्री रामसिंह
9. यादूराम पुत्र श्री रामसिंह जातियान गुर्जरान निवासीयान श्योपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

:–वादीगण

बनाम

1. टिकियामल उर्फ टिकनमल पुत्र श्री कल्लूमल उर्फ करमल जाति सिंधी निवासी मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।
2. लैण्ड होल्डर जर्ये तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।

:–प्रतिवादीगण

दावा–इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज
वो हु0 ई0 दवामी
अर्न्तगत धारा–88, 89 व 188
राज0 काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति:–

1. श्री मकरध्वज शर्मा वकील–वादीगण

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर
राजस्व वाद संख्या :– 286/17
गाडूराम बनाम टिकियामल उर्फ टिकनमल
निर्णय दिनांक :– 01.06.2018

–:: पर्चा डिक्री ::–

दिनांक :– 26.07.2018

वकील वादीगण श्री मकरध्वज शर्मा की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 26.07.2018 को महेश चन्द्र मान उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर के समक्ष बाद मुताबिक निर्णय दिनांक 01.06.2018 कस्टोडियन राशि जरिये चालान नम्बर 125 एवं 126 कुल राशि रूपयें 23,200 (शब्देन तेईस हजार दो सौ रूपये) जमा राजकोष तहसीलदार मुण्डावर द्वारा जरिये पत्रांक 2226 दिनांक 26.07.2018 अनुसार जमा कराये जाने बाबत् की रिपोर्ट प्राप्त होकर मय चालान प्रतियों के शामिल पत्रावली होने पर आदेश दिया जाता है और पर्चा डिक्री जारी की जाती है।

आराजी खसरा नम्बर 1929 रकबा 0.81 हैक्टर वाके ग्राम गांधीनगर, तहसील मुण्डावर के बाबत् वादीगण के वाद को डिक्री किया जाता है एवं हाल रिकार्ड में अंकित प्रतिवादी संख्या 1 के नाम को हजफ करने के आदेश दिये जाते है एवं उक्त विवादित आराजी के बाबत् वादी संख्या 1 लगायत 4 को 1/4 भाग, वादी संख्या 5 लगायत 7 को 1/4 भाग व वादी संख्या 8 व 9 को संभाग में 1/2 भाग के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। चूंकि उक्त विवादित आराजी पूर्व से ही कस्टोडियन की भूमि रही है ऐसी स्थिति में उपरोक्तानुसार कस्टोडियन शुल्क की गणना की जाकर तहसीलदार मुण्डावर द्वारा राशि जमा राजकोष में कर दिये जाने बाबत् की रिपोर्ट अनुसार उक्तानुसार वादीगण के नाम हाल राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। इस हेतु तहसीलदार मुण्डावर को वास्ते पालना अहकाम जारी हो।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें।

यह पर्चा डिक्री आज तारीख 26.07.2018 को मेरे द्वारा लिखाई जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

26/07/18

(महेश चन्द्र मान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
मुण्डावर (अलवर)

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner